बालिका शिक्षा फाउण्डेशन राजस्थान, जयपुर

डॉ. एस. राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल परिसर, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर (राज.) 302015

क्रमांक :– प. 02/बा.शि.फा./गार्गी पुरस्कार/2019–20/865 , दिनांक :–04.02.2020

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) (अति–आवश्यक)
माध्यमिक शिक्षा

विषयः– गार्गी पुरस्कार एवं बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार ऑनलाईन आवेदन पत्रों के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषय में लेख है कि सत्र 2019–20 में गार्गी पुरस्कार एवं बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार समारोह का आयोजन दिनांक 07.02.2020 को जिला मुख्यालय एवं पंचायत समिति स्तर पर किया जाना है। उक्त समारोह आयोजन के लिए दिशा–निर्देश पूर्व में दिये जा चुके है। वर्ष 2019 की पात्र बालिकाओं के आवेदन पत्र ऑनलाईन दिनांक 07.02.2020 तक भरवाये जा रहे है तथा कक्षा–10 वर्ष 2018 की बालिकाओ के आवेदन पत्र ऑफ लाईन भरवाये जा रहे है। उक्त दोनो प्रकार के आवेदन पत्र जमा करने एवं ऑन लाईन आवेदन पत्रों के वैरिफिकेशन के सम्बन्ध में बालिकाओं द्वारा दूरभाष पर जानकारी चाही जा रही है। इस संबंध में पुनः दिशा–निर्देश जारी किये जा रहे है।

1. प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु उपस्थित होने के समय बालिका केवल ऑन लाईन आवेदन पत्र का प्रिन्ट समारोह स्थल पर साथ लेकर आवे। आवेदन पत्र के साथ अन्य कोई दस्तावेज लाने की आवश्यकता नही है। अतः बालिका से अन्य दस्तावेज नही मांगे जावे। समारोह स्थल के बारे में भी समाचार पत्रो में विज्ञप्ति प्रकाशित करावे कि बालिका को प्रमाण पत्र हेतु कहां उपस्थित होना है।
2. कक्षा–10 की द्वितीय किस्त के ऑफ लाईन आवेदन पत्रों के जमा करने की उचित व्यवस्था करे। उक्त आवेदन पत्र कहां–कहां जमा होगे इस सम्बन्ध में स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशित करवावे।
3. ऑन लाईन भरे गये आवेदन पत्रों का वैरिफिकेशन सम्बन्धित CBEO द्वारा किया जाना है। वैरिफिकेशन की स्थिति को देखने से अवगत हुआ है कि CBEO द्वारा बहुत कम बालिकाओं के आवेदन पत्र वैरिफाई किये गये है। जबकि इस सम्बन्ध में पूर्व में निर्देश जारी किये गये थे कि आवेदन पत्रो का वैरिफिकेशन प्रतिदिन किया जाये। अतः इस सम्बन्ध में CBEO को वैरिफिकेशन हेतु सख्त निर्देश जारी करे।
4. ऑन लाईन आवेदन पत्रों में जहां आवश्यक है वहां बालिका द्वारा नियमित अध्ययन प्रमाण पत्र अपलोड किया है। तथा जिन बालिकाओं का नाम शाला दर्पण पर पहले से ही दर्ज है। ऐसी बालिकाओं को नियमित अध्ययन के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नही होने के कारण बालिकाओं द्वारा नियमित अध्ययन का प्रमाण पत्र अपलोड नही किया है तो ऐसे आवेदन पत्रों को निरस्त नही किया जाये।
5. बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार कक्षा–12 की बालिकाओं को नियमित अध्ययन प्रमाण पत्र की आवश्यकता नही है। अतः जिन बालिकाओं ने नियमित अध्ययन प्रमाण पत्र अपलोड नही किया है तो उनके आवेदन पत्र भी निरस्त नही किये जावे।
6. CBEO को विशेष रूप से बैंक विवरण का मिलान ध्यान पूर्वक करना है। लेकिन इस सम्बन्ध में शिकायते प्राप्त हो रही है कि बालिका द्वारा बैक विवरण जैसे खाता संख्या, आईएफसी कोड एवं बैक शाखा गलत भरा गया है तो भी CBEO द्वारा गलत भरे गये विवरण को भी वैरिफाई किया जा रहा है। जो कि अत्यन्त गम्भीर है।

7. यदि CBEO द्वारा बैक विवरण का गलत वैरिफिकेशन करने से यदि राशि पात्र बालिका के खाते में जमा नही होती है या किसी दूसरी बालिका के खाते में राशि जमा होती है तो इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व CBEO का होगा। अतः इस सम्बन्ध में CBEO को विस्तृत निर्देश जारी करे।
8. ऑन लाईन पत्रो का वैरिफिकेशन समारोह आयोजन दिनांक 07.02.2020 से पूर्व होना आवश्यक है। इस सम्बन्ध में CBEO को समय पर वैरिफिकेशन करने के निर्देश जारी करे।
9. जिन बालिकाओं के आवेदन पत्र वैरिफिकेशन के समय निरस्त किये गये है। उन बालिकाओं को प्रमाण पत्र देय नही होगा।
10. बालिकाओं के आवेदन पत्र निरस्त करने से पूर्व आवेदन पत्र में दिये गये दूरभाष नम्बर पर बालिका को आवेदन पत्र की कमी की पूर्ति हेतु आवश्यक रूप से सूचित करे ताकि बालिका का आवेदन पत्र निरस्त नही हो।
11. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित कक्षा–10 एवं कक्षा–12 परीक्षा 2019 की बालिकाओं के आवेदन पत्र ही ऑन लाईन भरवाये जा रहे है। जानकारी में आया है कि 2018 कि कुछ बालिकाओं ने ऑन लाईन आवेदन कर दिया है और CBEO उनहे वैरिफाई भी कर दिया है। जो कि गलत है। वर्ष 2018 के आवेदन पत्र को निरस्त किया जावे।

(शंकर लाल जांगिड़)
उपसचिव
बालिका शिक्षा फाउण्डेशन
जयपुर

क्रमांक :– प. 02/बा.शि.फा./गार्गी पुरस्कार/2019–20/866 दिनांक :– 04.02.2020

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर।
2. संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को भेजकर लेख है कि ऑनलाईन भरे गये आवेदन पत्रों का वेरिफिकेशन दिनांक 07.02.2020 से पूर्व आवश्यक रूप से करे।
3. उप निदेशक **शाला दर्पण** को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र को **शाला दर्पण** पर अपलोड करवाने का श्रम करें।

उपसचिव
बालिका शिक्षा फाउण्डेशन
जयपुर